



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-1101

दिनांक 25/5/2023

आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र (व0ग0)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	अरविन्द कुमार चौधरी	श्रीमती रामसुखी चौपड़ा पत्नी श्री श्योजीराम चौपड़ा	90ए	175.00	निजी खातेदारी	सुन्दर एनक्लेव फेज-1	लीजडीड	उक्त भूखण्ड में सडिडविजन होने से।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-7900

दिनांक: 23-11-2023

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका दिवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री सुभाष चौधरी पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद जाट	श्री रघुनाथ पुत्र श्री रामूराम	77	183.00	श्री गणपति	बालाजी विहार-33	फी-होल्ड पट्टा	हकत्याग पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र

आवेदक द्वारा हकत्याग पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर फी-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फी-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 7899

दिनांक 23-5-23

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती किरण गढवाल पत्नी श्री मुकेश गढवाल	श्रीमती किरण गढवाल पत्नी श्री मुकेश गढवाल	35	343.3	बदनपुरा (फकीरों की झूगरी)	नॉथ एवेन्यू	फी-होल्ड	अपंजीकृत इकरारनामा

आवेदक द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर फी-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फी-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अर्जुन कुमार पुत्र श्री सीताराम मण्डल	गैसर्स वाटिका लिगिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नवीन बक्शी	40 (पार्क ऐवेन्यू/ 1स्ट्रीट)	154.22 व.मी.	निजी खातेदारी	वाटिका इन्फोटेक सिटी	फ्री होल्ड लीजडीड/ नाम हस्तान्तरण	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व दस्तावेज मुम हो जाने के संबंध में प्रस्तुत एफ.आई.आर. के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

24.05.23

उपायुक्त जोन-12,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी-7885

दिनांक 23.05.2023

0.7970
24-5-23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें.: 8340 : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बीलवा कलां, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोन-14, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-1145
दिनांक:- 25/5/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102588

दिनांक: 25/05/2023

लोक सूचना

श्री BHAGWATI PRASAD SHARMA पुत्र श्री HANUMAN PRASAD SHARMA जाति HINDU निवासी 50, SUKH VIHAR COLONY, SHYOPUR ROAD, SANGANER, JAIPUR, RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	BHAGWATI PRASAD SHARMA	2272/2269	917	0.0917
2.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	BHAGWATI PRASAD SHARMA	2276/2265	807	0.0807
3.	बिलवा कलां, सांगानेर (जयपुर)	BHAGWATI PRASAD SHARMA	528	100	0.01
				कुल	0.1824

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-05-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/उपा./जोन-12/23/डी-7929


दिनांक 24.5.23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषय:-90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो)/90बी/90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


24/05/23
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102554

दिनांक : 24.05.2023

लोकसूचना

मैसर्स सेलमोर जरिय प्रापराईटर श्रीमती जयश्री शर्मा पंजीकृत कार्यालय-दी हवेली, अष्टवक आश्रम, अशोक नगर पुलिस स्टेशन के पास, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई (रिसोर्ट) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	हरध्यानपुरा, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स सेलमोर हिस्सा पूर्ण	112/1	6800.00	0.6800
			113/542	1200.00	0.1200
				कुल	0.8000

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24.05.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102528

दिनांक : 23.05.2023

लोकसूचना

तिरुपति इन्फ्राटेक जरिये पार्टनर विनीत कुमार अग्रवाल, पता: एफ-113, वेंकटेश्वर टावर, सेन्टर स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई (एकल पट्टा) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	नींदड, आमेर (जयपुर)	तिरुपति इन्फ्राटेक हिस्सा पूर्ण	3707 / 693	1891.00	0.1894
			3712 / 691	337.00	0.0337
			3714 / 692	2912.00	0.2912
			3717 / 694	2362.00	0.2362
			3719 / 695	2005.00	0.2005
				कुल	0.9510

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर स्मर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23.05.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102573

दिनांक : 25.05.2023

लोकसूचना

श्रीमती गीता राठौड पत्नी श्री त्रिमंगल सिंह व कमोद कंवर पत्नी श्री श्रवण सिंह निवासी- राजावत कृषि फार्म, बीयानी कॉलेज, जोबनेर मार्ग, गांव कालवाड जिला जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य (पेट्रॉल पम्प)** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	कालवाड, कालवाड (जयपुर)	श्रीमती गीता राठौड हिस्सा 1/2 व श्रीमती कमोद कंवर हिस्सा 1/2	1213/1205	4376.00	0.4376
				कुल	0.4376

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24.05.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रारूप-13

{नियम13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक डी - 1109

दिनांक 26-05-2023

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी को जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जारी विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरित होने के कारण योजना के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(5) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63(II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावसित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे :-

क्र. सं.	सहकारी समिति का नाम	ग्राम /तहसील	खसरा	रकबा हैक्ट	स्वामित्व
1	मित्र गृ.नि.स. की योजना कल्याण नगर-III	ग्राम सूरजपुरा धाटी तहसील-सांगानेर	85 85/243	0.29 0.03	गुल्लाराम पुत्र झूथा हिस्सा-1/3 श्योराम पुत्र झूथा हिस्सा-1/3 श्रवण पुत्र झूथा हिस्सा-1/3 जाति- मीणा, ग्राम सूरजपुरा धाटी तहसील- सांगानेर

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग आवासन एवं स्वायत्त्व शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)निविदि/अभियान /2021/मु.मु. ज्ञा जयपुर दिनांक 28.02.2021 के बिन्दु संख्या के क्रम में इस नोटिस के

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो समय साक्ष्य के विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नंबर पी.बी. एस.एफ 209 पार्किंग भवन द्वितीय तल जविप्रा स्थित न्यायालय के कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पूर्णग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 26-05-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-04
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004.
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-119)

दिनांक 25.5.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश अग्रवाल	श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री बिरधा उर्फ बिरदालाल जाति माली	39	133.72	श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति	गोविन्द नगर पश्चिम-प्रथम (निजी खातेदारी भूखण्ड)	फी होल्ड पट्टा	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मुख्तयारनामा इत्यादि

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त, जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1152

दिनांक 26.5.23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	46	श्री नितिन शर्मा पुत्र डॉ. विनोद कुमार शर्मा	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	राधा स्वामी नगर	लीजडीड हेतु
2.	बी-230	श्रीमती साल्वी राजलक्ष्मी पत्नी श्री प्रसाद सागर	जविप्रा	बकसावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु।
3.	A-230	श्री संजय अग्रवाल पुत्र स्व. श्री राधेश्याम गुप्ता	निजी खातेदारी	श्रीराम एनक्लेव-ए	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा
4.	180	कु. प्रीली श्रीमाल पुत्री श्री कैलाश चन्द श्रीमाल	निजी खातेदारी	बालाजी विहार -5	फ्री होल्ड पट्टा
5.	B-425	श्रीमती चारु शोभित पत्नी श्री शोभित मित्तल	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव-बी	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-1165

दिनांक:- 26/5/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-जगन्नाथपुरा, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 113, 114, 115, 127 से 130, 132 से 138, 508/119 किता-15 रकबा 8.16 हेक्टेयर की भूमि पर मंगलम् उद्योग नगर विकास समिति द्वारा श्री मंगलम् उद्योग नगर के नियमन हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत नियमन की कार्यवाही हेतु जारी लोक सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत राजस्व ग्राम-जगन्नाथपुरा, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 113, 114, 115, 127 से 130, 132 से 138, 508/119 किता-15 रकबा 8.16 हेक्टेयर की भूमि पर मंगलम् उद्योग नगर विकास समिति द्वारा श्री मंगलम् उद्योग नगर के नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में सुओमोटो की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलग्न:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रारूप-13

(नियम 13(2) देखिए)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी-1165

दिनांक:-26/5/23

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (1) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में सुओमोटो पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः कथों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्याप्त कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति/विकास समिति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व
जयन्नाथपुरा/आगेर	मंगलम् उद्योग नगर विकास समिति	113	0.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. नाबालिग अनिल पुत्र शिशुपाल सरंक्षक सरपरस्त माता ममतादेवी हिस्सा- 1/252 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 2. नाबालिग अशोक पुत्र शिशुपाल सरंक्षक सरपरस्त माता ममतादेवी हिस्सा- 1/252 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 3. नाबालिग उर्मिला पुत्री रामधन सरंक्षक सरपरस्त माता विमलादेवी हिस्सा- 1/180 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 4. नाबालिग काली पुत्री रामेश्वर सरंक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 5. कोयली पत्नि महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/63 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 6. नाबालिग गोदी पुत्री रामेश्वर सरंक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 7. गोपाल पुत्र सोहनलाल हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 8. जगदीशनारायण पुत्र महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/63 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 9. तेजाराम पुत्र नारायण हिस्सा- 1/27 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 10. देवीलाल पुत्र नारायण हिस्सा- 1/27 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 11. नानगराम पुत्र छीतरमल हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 12. प्रहलाद पुत्र नानया हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 13. नाबालिग पिकी पुत्री रामधन सरंक्षक सरपरस्त माता विमलादेवी हिस्सा- 1/180 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 14. नाबालिग भागीरथ पुत्र रामेश्वर सरंक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 15. मंगलीदेवी पुत्री महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/63 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 16. मनभरीदेवी पुत्री महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/63 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 17. ममतादेवी पत्नि शिशुपाल हिस्सा- 1/252 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 18. मालीदेवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 19. नाबालिग युवराज पुत्र रामधन सरंक्षक सरपरस्त माता विमलादेवी हिस्सा- 1/180 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 20. रतनलाल पुत्र छीतरमल हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार

				<p>21. रामकुंवार पुत्र भगवान हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>22. नाबालिग रामदेव पुत्र रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>23. रामस्वरूप पुत्र सोहनलाल हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>24. नाबालिग रिकू पुत्री रामधन संरक्षक सरपरस्त माता विमलादेवी हिस्सा- 1/180 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>25. नाबालिग लाली पुत्री रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>26. विमलादेवी पत्नि रामधन हिस्सा- 1/180 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>27. श्रवणलाल पुत्र नानया हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>28. नाबालिग सुनील पुत्र शिशुपाल संरक्षक सरपरस्त माता ममतादेवी हिस्सा- 1/252 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>29. सरदार पुत्र महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/63 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>30. सांवरमल पुत्र छीतरमल हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>31. सीताराम पुत्र महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/63 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार</p> <p>32. हेमराज पुत्र सोहनलाल हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार,</p>
जगन्नाथपुरा / आमेर	मंगलम् उद्योग नगर विकास समिति	114	0.12	1. नाबालिग अनिल पुत्र शिशुपाल संरक्षक सरपरस्त माता ममता हिस्सा- 1/126 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
		115	0.14	
		127	0.18	
		128	1.35	2. नाबालिग अशोक पुत्र शिशुपाल संरक्षक सरपरस्त माता ममता हिस्सा- 1/126 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
		129	0.90	
		130	3.31	3. नाबालिग उर्मिला पुत्री रामधन संरक्षक सरपरस्त माता विमलादेवी हिस्सा- 1/180 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
		132	0.33	
		133	0.05	4. नाबालिग काली पुत्री रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
		134	0.15	
		135	0.36	5. नाबालिग गोदी पुत्री रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
		136	0.30	
		137	0.13	6. गोपाल पुत्र सोहनलाल हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
		138	0.12	7. जगदीशनारायण पुत्र महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				8. तेजाराम पुत्र नारायण हिस्सा- 1/27 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				9. देवीलाल पुत्र नारायण हिस्सा- 1/27 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				10. नानगराम पुत्र छीतरमल हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				11. प्रह्लाद पुत्र नानया हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				12. नाबालिग पिंकी पुत्री रामधन संरक्षक सरपरस्त माता विमलादेवी हिस्सा- 1/180 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				13. नाबालिग भागीरथ पुत्र रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				14. ममतादेवी पत्नि शिशुपाल हिस्सा- 1/252 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				15. मालीदेवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				16. नाबालिग युवराज पुत्र रामधन संरक्षक सरपरस्त माता विमलादेवी हिस्सा- 1/180 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				17. रतनलाल पुत्र छीतरमल हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				18. रामकुंवार पुत्र भगवान हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				19. नाबालिग रामदेव पुत्र रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त माता मालीदेवी हिस्सा- 1/162 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार
				20. रामस्वरूप पुत्र सोहनलाल हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार

				24. श्रवणलाल पुत्र नानया हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 25. नाबालिग सुनील पुत्र शिशुपाल सरक्षक सरपरस्त माता ममदा हिस्सा- 1/144 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 26. सरदार पुत्र महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 27. सांबरमल पुत्र छीतरमल हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 28. सीताराम पुत्र महादेवप्रसाद हिस्सा- 1/36 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 29. हेमराज पुत्र सोहनलाल हिस्सा- 1/9 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार,
		कित्ता-15	8.16	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/म.भ.॥ जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.09.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो न्यून साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ-307 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 26/5/23 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जविप्रा, जयपुर
 उपायुक्त एवं प्राधिकरण जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 जून-13

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102577

दिनांक 25/05/2023

लोक सूचना

विनोदरानी मेहरडा पत्नी बनवारीलाल मेहरडा जाति बलाई निवासी 4 क 24, जवाहर नगर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिप्रेति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात् -

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मुहाना, सामानेर (जयपुर)	विनोदरानी मेहरडा पत्नी बनवारीलाल मेहरडा जाति बलाई निवासी 4 क 24, जवाहर नगर जयपुर।	1068	3900	0.39
			1069/1	2600	0.26
			3214/1075	327	0.0327
			3216/1076	4879	0.4879
			1077	4200	0.42
कुल				15906	

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिप्रेति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अंतर्गत पूर्वाका पराजना के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने और अभिप्रेति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी दुरुस्त ओ आईडी से लोन इन कर 90-A For Development Authority (UDM) आईकॉन पर उक्त समस्त दस्तवेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम सभ्य के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी का आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जाएगा।

यह सूचना नगरीय नगर और नगर के अंतर्गत आता दिनांक 25-05-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	गूल आर्पटी का नाम	गुलण्ड संख्या	गुलण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.रा.स. / निजी खातेदारी योजना/जवि प्रा योजना	योजना का नाम	रोवा, जिस्के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	गीताजली अग्रवाल	रम्य	3	443.33	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति	चाणवयपुरी बी	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	अजेश अग्रवाल	रम्य	2	846.38	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति	चाणवयपुरी बी	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	लाल चन्द अग्रवाल	रम्य	1	833.88	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति	चाणवयपुरी बी	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	मनीष चन्देल	राजेश कुमार	40	179.11	हरानपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति	महावीर नगर	लीजडीड	अपजीकृत इकरानागा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
5	इशाक अहमद	नन्हे खा	145	166.66	महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति	श्रीराम विहार	लीजडीड	गृह्य प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

[Handwritten Signature]

उपायुक्त
जोतनी आरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जयपुर-जविप्रा, जयपुर, जयपुर

96

जन सम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1246

दिनांक 26.5.2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1038

दिनांक 26/5/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामशरण दास	श्री लाभचन्द लोढा पुत्र श्री एच.सी. लोढा	सी-247	138.89 व.ग.	जविप्रा योजना	वैशाली नगर	नाम हस्तान्तरण	पंजीकृत मुख्तयारनामा, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, गुमशुदगी रिपोर्ट की प्रति के आधार पर

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
उपायुक्त एवं प्रप्रविप्रा जयपुरनारी
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1044

दिनांक 26/5/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती रीटा चौपड़ा पत्नी स्व. श्री संदीप चौपड़ा	श्रीमती अनु महरोत्रा पत्नी श्री आर.एन. महरोत्रा	376	336 व. ग.	गुलाबबाड़ी	गुरु जम्बेश्वर नगर-ए	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के आधार पर

उपायुक्त, जोन-7
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन-7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामस्वरूप सैनी	श्रीमती सावित्री शर्मा	87 (दक्षिणी भाग)	100.00 व. ग.	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश नगर, निवारु रोड	फ्री होल्ड पट्टा	जविप्रा द्वारा जारी पट्टा, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र आदि।
2	श्री कजोड मल कुमावत	श्री कजोड मल कुमावत	149	100.00 व.ग.	मोती भवन गृ.नि.स.स.	हनुमान नगर विस्तार-बी-द्वितीय	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
3	श्रीमती बत्तो देवी	श्रीमती बत्तो देवी	40	166.00 व.ग.	मित्र गृ.नि.स.स.	एकता नगर-सी-2	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
4	श्रीमती सावित्री देवी	श्री रामकरण जाट	09	374.44 व.ग.	शिव शंकर को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.	श्री राम विहार-जी	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत मुखत्यारआम आदि।
5	श्री मान सिंह लाम्बा	श्री मान सिंह लाम्बा	99	433.33 व.ग.	माधव गृ.नि.स.स.	शिव कॉलोनी मोती नगर	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455

सुपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

6	श्रीमती पुखराज जैन	श्रीमती नेहा जैन	80	339.77 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	शिव विहार	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, पंजीकृत उपहार पत्र आदि।
7	श्री नितिन जैन	श्री नितिन जैन	77	342.22 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	शिव विहार	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र पत्र आदि।
8	श्रीमती वर्षा जैन	श्री निर्मल कुमार जैन	83	344.62 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	शिव विहार	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, अपंजीकृत विक्रय पत्र आदि।
9	श्रीमती पुखराज जैन	श्रीमती पुखराज जैन	110	277.00 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	शिव विहार	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपयुक्त जोन-7,
उपा.जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय,
जोन-7, जयपुर, जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी- 1030
दिनांक - 26/5/2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1217

दिनांक:- 26.5.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स./निजी खातेदारी /जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	133619	पूनम मिश्रा एवं श्री सुनील कुमार मिश्रा	श्रीमती शारदा मिश्रा पत्नी श्री सुनील कुमार मिश्रा	281	200.00	जल महल	विश्वकर्मा नगर-1-1A	नाम हस्तान्तरण एवं फी होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र
2.	44142	श्री रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा	श्री रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा	57/1	134.00	आनन्द भवन	पंचौली विहार	नियमन एवं पट्टा विलेख	सूची में नाम अंकित नहीं होने से
3.	130627	श्री डालू राम पुत्र श्री रघुनाथ	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री दीवान चन्द	एसएम-115	150.00	मित्र गृह	न्यू सांगानेर बाईपास	नियमन एवं पट्टा विलेख	सूची में नाम की भिन्नता
4.	134293	श्री ओमिन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री जय सिंह राठौड़	श्री गोविन्द सिंह राठौड़ पुत्र श्री जय सिंह	877	166.6	लंकापुरी	शांति नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	सूची में नाम की भिन्नता
5.	-	श्रीमती रेखा खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री रजनीश खण्डेलवाल	श्री रजनीश खण्डेलवाल पुत्र श्री रमेश खण्डेलवाल	87 ए	327.38	माधव	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपजीकृत दस्तावेज
6.	-	श्री ओम प्रकाश सैनी पुत्र श्री भगवान सहाय सैनी	श्रीमती रूक्मणी देवी सैनी पत्नी श्री भगवान सहाय	53	426.66	माधव	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
7.	-	श्री तेजाराम चौधरी पुत्र श्री बालाराम चौधरी	श्रीमती सुखा देवी पत्नी श्री तेजाराम चौधरी	93 ए	300.00	माधव	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234); ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8250}; फ़ैक्स - +91-141-2574555

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 1106

दिनांक:- 25/5/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जगमोहन आहूजा पुत्र स्व० श्री कश्मीरी लाल आहूजा	श्रीमती कविता पन्त पत्नी श्री दीपक सी. पन्त	195	198 व०मी०	जविप्रा योजना	पत्रकार कॉलोनी	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 22.09.2017 के आधार पर
2	श्री भागचन्द्र पुत्र स्व० श्री जगदीश	श्रीमती सारू पत्नी श्री जगदीश	535	129.20 व०मी०	जविप्रा योजना	स्वर्ण विहार	नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु	शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व हकत्याग पत्र दिनांक 04.04.2023 के आधार पर

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदकी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	मू.नि.सं.स. / निजी खातदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा लिये आवेदन किया गया	जिसके विज्ञप्ति प्रकाशन का कारण
1	श्री साजी के.एस. पुत्र श्री कोशी सामुवेल	श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री हाजी शरीफ अहमद	11 उत्तरी भाग	220.00	संयुक्त	सजंय नगर-ई	नियमन	
2	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री नोरंग सिंह	श्री मदन लाल पुत्र श्री मोहर सिंह	15-ए	388.3	म्युचुअल	स्कीम नम्बर-25	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
3	श्रीमती सरोज बाबल पत्नी श्री नेमीचन्द बाबल	श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री पूरन लाल शर्मा	15	344.00	म्युचुअल	स्कीम नम्बर-25	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
4	श्रीमती निधि अग्रवाल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल	श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी श्री विश्वनाथ चौधरी	46 मध्य भाग	222.22	तोपखाना देश	सेन्ट्रल कालोन फेज- II	नियमन	सूची में नाम नहीं
5	श्री अजय एवं राजेश पुत्र श्री मूलचन्द बाहेती	श्रीमती विजयलक्ष्मी पुत्र श्री मूलचन्द	134	343.75	दी अम्बेडकर	प्रवासी नगर स्कीम नम्बर-5	नियमन	उत्तराधिकार के आधार पर
6	श्री पवन कुमार पुत्र श्री रामविलास	श्री भगवान दास पुत्र श्री नारायण दास	17 उत्तरी भाग	133.33	तोपखाना देश	सेन्ट्रल कालोनी फेज- I	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज

संयुक्त जीम-6

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7	श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा	श्री पारसचन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन	36-ए	91.6	शंकर भवन	ग्रीनपार्क डी-1	नियमन	सदस्य सूची में नाम की भिन्नता
---	---	---	------	------	----------	-----------------	-------	----------------------------------

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी- 15 72- दिनांक 25.05.2023

उपायुक्त जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सांपत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा-योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री शशीकान्त शर्मा पुत्र श्री आनन्दमणी शर्मा	श्री आनन्दमणी शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा	52	133.125 व. ग	धन्नादास की बगीची गृ.नि.स.स.	लक्ष्मी नगर द्वितीय	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर
2.	श्री मालाराम सैनी पुत्र बुद्धाराम	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल	15	183.30 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	श्री देव नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
3.	श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री रघुनाथ	श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री प्रेम	12डी	143.77 व.ग.	मित्र गृ.नि.स.स.	जीवनदीप कॉलोनी स्कीम नं. 3	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	उत्तराधिकार के आधार पर
4.	श्री हितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री हरवंश लाल शर्मा	श्री राम प्रकाश सैनी पुत्र श्री बोदूराम सैनी	52	100 व.ग.	खोरा मीणा गृ.नि. स.स.लि.	गोविन्द नगर ए	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	हकत्याग के आधार पर
5.	श्री कार्तिक सिंह पुत्र स्व. श्री दुर्गपाल सिंह	श्री दुर्गपाल सिंह पुत्र श्री हीरा लाल	31	240.29 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	उद्योग नगर विस्तार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	उत्तराधिकार के आधार पर

जन सम्पर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी- 1578

उपायुक्त जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण

दिनांक:- 26-5-23

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	मू.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अटल स्वामी पुत्र स्व. श्री घनश्याम स्वामी	श्री घनश्याम स्वामी पुत्र श्री नर्मदा दास स्वामी	985	30.00 वर्गमीटर	जविप्रा	अमृत कुंज-11	लीजडीड/ नाम हस्तान्तरण	मृत्यू प्रमाण पत्र पत्र व शपथ पत्र के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

23/05/23
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-

दिनांक

24-5-2022

7906



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती रवीणी सोनी पत्नि स्व. श्री गोवेश सोनी	श्री गोवेश सोनी पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सोनी	340	152.77 व.ग.	निजी खातेदारी	जॉयगैक्स गार्डन-ए	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	मृत्यू प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

23/05/23
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 2907

दिनांक 24-5-2023